

2021/79

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीगण विजय सूद पुत्र चन्दूलाल सूद उम्र 73 वर्ष व श्रीमती पवन सूद पत्नी श्री विजय सूद पुत्र श्री भगवानदा\* जातियान सूद आयु 67 वर्ष निवासीयान फ्लैट ए-205 रिद्धि सिद्धि एनक्लेव फस्ट श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सीलड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थीगण व गवाहान विरेन्द्र जुनेजा पुत्र वेद प्रकाश जुनेजा एवं विजय टण्डन पुत्र कृष्ण टण्डन की पहचान श्री नवजोत सिंह पन्नु अधिवक्ता श्रीगंगानगर. ने की।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सीलड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

जिला पंजीयक महोदय

11/11/21